दिनांक 18.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 272/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आगरा इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 18.05.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आगरा इकाई** द्वारा श्री मोहरमन सिंह निवासी त्रिलोक थाना करहल जनपद मैनपुरी से सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्यूटी व अन्य फण्ड का पैसा भुगतान कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री संजय कुमार के नेतृत्व में जिला न्यायालय के गेट के सामने से **नलकूप चालक सतीश चंह** पुत्र स्व0 पुत्तूलाल निवासी 4/224 आवास विकास मैनपुरी को **20 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 18.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 273/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहपुर/थाना खखरेरू

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.05.2026 को थाना खखरेरू व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त कन्हैया को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना खखरेरू पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खखरेरू पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कन्हैया निवासी ग्राम बरखेड़ा लायरा थाना कुरवाई जनपद विदिशा मध्यप्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना इकोटेक–3

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 17.05.2026 को थाना इकोटेक–3 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डपिंग यार्ड के पास दादरी रोड बस स्टैंड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त इरफान उर्फ नेता को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना इकोटेक–3 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इकोटेक–3 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इरफान उर्फ नेता निवासी अशालकपुर फरूखनगर थाना टीला मोड कमिश्नरेट गाजियाबाद, हालपता काली मेला जनपद मलखान गिरी उड़ीसा।

जनपद शाहजहांपुर/थाना रोजा

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **6.5 ग्राम अवैध स्मैक**
- **03 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 18.05.2026 को थाना रोजा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नमकीन फैक्ट्री के पास से 05 अभियुक्तों 1–मगरूर 2–मिदरी 3–अबरम 4–पतले 5–राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 6.5 ग्राम अवैध स्मैक, 03 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 01 कार आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मगरूर के विरूद्ध जनपद शाहजहांपर, हरदोई, फतेहगढ़, मैनपुरी के विरूद्ध चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 20 अभियोग, अभियुक्त मिदरी के विरूद्ध जनपद शाहजहांपुर , फतेहगढ़, एटा , सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 30 अभियोग, अभियुक्त अबरम के विरूद्ध जनपद शाहजहांपुर, फतेहगढ़ के विरूद्ध आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग, अभियुक्त पतले के विरूद्ध चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मगरूर निवासी पंखाखेड़ा थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।

2–मिदरी निवासी पंखाखेड़ा थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।

3–अबरम निवासी पंखाखेड़ा थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।

4–पतले निवासी पंखाखेड़ा थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।

5–राहुल निवासी गढिया पैगम्बरपुर हर्रिमपुर हजरतपुर, बदायूं।

बरामदगी

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस ।

3–6.5 ग्राम अवैध स्मैक।

4–03 मोबाइल फोन।

5–नगद रूपये।

6–01 कार आदि।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना नौबस्ता

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 13 की दो पहिया वाहन**
- **04 पहिये, 09 नम्बर प्लेट**
- **नगद रूपये आदि बरामद**

दिनांक 18.05.2026 को थाना नौबस्ता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीओडी नाले के पास से 03 अभियुक्तों 1–मो0 सलीम 2–सानू को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर अभियुक्त 3–वाजिद बेग को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 13 की दो पहिया वाहन, 04 पहिये, 09 नम्बर प्लेट, नगद रूपये आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मो0 सलीम के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त सानू के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नौबस्ता पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मो0 सलीम निवासी चिश्तीनगर थाना चकेरी, कानपुर नगर।

2—सानू निवासी इकलाख नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

3—वाजिद बेग निवासी महमूदनगर थाना जाजमऊ, कानपुर नगर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 13 की दो पहिया वाहन।

2—04 पहिये, 09 नम्बर प्लेट।

3—नगद रूपये आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना तीतरों

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 22 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 611 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 17.05.2026 को थाना तीतरों पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बरसी मोड़ विश्राम गृह से 03 अभियुक्तों 1—इरफान 2—परवेज 3—सलिम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 22 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 611 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना तीतरों पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—इरफान निवासी ग्राम कुतुबखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

2—परवेज निवासी ग्राम नवाजपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

3—सलिम निवासी ग्राम चोतरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 01 करोड़ 22 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 611 ग्राम अवैध स्मैक।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना सफदरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सफदरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रमाकान्त उर्फ पप्पू 2–विजय कुमार को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना सैदनगली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना सैदनगली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नौरंग को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 सपठित धारा 5(ड़) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू उर्फ आनन्द को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना बिंवार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 26 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना बिंवार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354/342/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 26 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना सैफई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना सैफई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त देवसिंह उर्फ देव को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मऊ/थाना मोहम्मदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/323/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजन उर्फ राजू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————